रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10122021-231753
CG-DL-W-10122021-231753

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 41] नई दिल्ली, नवम्बर 28 - दिसम्बर 4, 2021, शनिवार/ अग्रहायण 7- अग्रहायण 13, 1943
No. 41] NEW DELHI, NOVEMBER 28 -DECEMBER 4, 2021, SATURDAY/ AGRAHAYANA 7- AGRAHAYANA 13, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 147.—कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के निर्बंधनों के अनुसार, लोक सभा सचिवालय में महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा लैंगिक उत्पीड़न और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबन्धित शिकायतों को दूर करने के लिए एक 'आंतरिक परिवाद समिति' का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे । इस प्रयोजन हेतु गठित समिति के सदस्यों का कार्यकाल 25.09.2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगा ।

(एक)	श्रीमती सुमन अरोड़ा संयुक्त सचिव	पीठासीन अधिकारी
(दो)	श्रीमती ममता केमवाल निदेशक	सदस्य
(तीन)	श्री संतोष कुमार निदेशक	सदस्य
(चार)	श्रीमती माया लिंगी निदेशक	सदस्य सचिव
(पांच)	श्रीमती अनुजा पेठिया अधिवक्ता	सदस्य

[सं.फा.7/52/2009/वीयू/जीएन-9177/2021]

श्रीनिवासुलु गुंडा, निदेशक

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 21st September, 2021

G.S.R. 147.—In terms of Section 4 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, an "Internal Complaints Committee", has been constituted comprising of the following members to provide protection against sexual harassment of women at workplace of Lok Sabha Secretariat and for redressal of complaints of harassment and for matters connected therewith or incidental thereto. The tenure of the members of the Committee constituted for the purpose will be for a period of one year with effect from 25.09.2021 or until further orders whichever is earlier.

(i)	Smt. Suman Arora Joint Secretary	Presiding Officer
(ii)	Smt. Mamta Kemwal Director	Member
(iii)	Shri Santosh Kumar Director	Member
(iv)	Smt. Maya Lingi Director	Member-Secretary
(v)	Smt. Anuja Pethia Advocate	Member

[No. F.7/52/2009-VU/GN-9177/2021]

SRINIVASULU GUNDA, Director

गृह मंत्रालय

(पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 148 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में सिपाही (माली) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः –

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, सिपाही (माली) भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर .**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों के संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों. भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिपाही (माली)	03* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21,700-69,100/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे लेवल जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो:- (क) (i) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हों; या (ii) मूल काडर अथवा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर —2 (19,900 - 63,200/-) में नियुक्ति पश्चात तीन वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हो; और (ख) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण । **टिप्पण 1.** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. – प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता	लागू नही होता।

[फा. सं. 23011/212/2016-पीटी/ बी.पी.आर एंड डी]

सुनील बरेजा,अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Bureau of Police Research and Development)

New Delhi, the 30th November, 2021

G.S.R. 148.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Constable (Mali), Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research & Development, Central Academy for Police Training, Bhopal, Constable (Mali), Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Disqualifications.—** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age- limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Constable (Mali)	03* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-3 (Rs 21,700-69,100/-) in the pay matrix	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, level from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation : Officers under the Central Government or State Government or Union territories,- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-2 (Rs. 19,900-63,200/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) 10th pass from recognised board. **Note 1**: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	Not applicable	Not applicable.

[F. No. 23011/212/2016-PT/BPR&D]
SUNIL BAREJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 149.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में **प्रशिक्षक/ संकाय (प्रशिक्षण)** के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.— (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, प्रशिक्षक/ संकाय (प्रशिक्षण), समूह "क" भर्ती नियम, 2021 है।

(ख) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों के साथ उपबंध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति,आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**कोई ऐसा व्यक्ति -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृत्ति.**— केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय- समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए दिए गए आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों की किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशिक्षक/संकाय (प्रशिक्षण)	10* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -10 (रु.44,900-1,42,400/-)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा मे लागू होंगी ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे लेवल जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्री पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी जो:- (क) (i) अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करते हों; या	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति पद पर भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है।

(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 9 (रु. 53,100-1,67,800/-) या स्तर-8 (रु. 47,600-1,51,100/-) के पद पर नियमित नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा कर चुके हों; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते होः- आवश्यकः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ड्रिग्री। (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य सरकार क्षेत्र पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में तीन वर्ष का अनुभव। (iii) पुलिस कर्मियों के इनडोर और आउटडोर प्रशिक्षण की योजना, समन्वय और आयोजन में अनुभव। **टिप्पण 1.** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, केंद्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि सहित साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2.** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं.-23011/226/2016-पीटी/ बी.पी.आर एंड डी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 30th November, 2021

G.S.R. 149.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Instructor/Faculty (Training)** in the Ministry of Home Affairs, Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (a) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development Central Academy for Police Training, Bhopal, Instructor/Faculty (Training), Group 'A' Recruitment Rules, 2021.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix. .—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc..—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Instructor/Faculty (Training)	10* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-10 (Rs.56,100-77,500/-) in the Pay matrix	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory police organizations: (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the post in level-9 (Rs. 53100-167800/-) or level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100/-); and (b) possessing the following qualification and experience; Essential:	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post on deputation

(i) Bachelors Degree from a recognised university; (ii) three years experience in the Central Government or State Government or Union territory police training institute. Desirable: (iii) experience in planning, coordinating and organising indoor and outdoor training of police personnel. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/226/2016-PT/BPR&D]
SUNIL BAREJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 150 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में मुख्य ड्रिल अनुदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल मुख्य ड्रिल अनुदेशक, भर्ती नियम, 2021 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

6. **व्यावृति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियातों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य ड्रिल अनुदेशक	01* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700/- रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे क्षेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने की किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति पश्चात सदृश्य पद धारण किये हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 10 (56,100-1,77,500/- रु,) में नियमित आधार पर उस पद पर	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते होः- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ड्रिग्री, और (ii) प्लानिंग, समन्वय और बाहरी प्रशिक्षण गतिविधियों के अनुभव सहित ड्रिल अनुदेशक के रूप में पांच वर्षों का अनुभव; **टिप्पण-1** - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिनके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-2** - प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011/82/2013-पीटी/ बी.पी.आर एंड डी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd December, 2021

G.S.R. 150.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Chief Drill Instructor in Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the, Central Academy for Police Training, Bhopal, Chief Drill Instructor, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	**(4)**	(5)	(6)
Chief Drill Instructor	01* (2021) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted Non-Ministerial	Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700/-) in the pay matrix	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territories, - (a) (i) holding analogous post after appointment thereto on regular basis in parent cadre or department; or (ii) with five years service in the post after appointment thereto on regular basis in level-10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the following qualification and experience namely: - (i) Bachelors degree from a recognised university; and (ii) five years experience as Drill Instructor including experience of planning, coordinating and conducting outdoor training activities; **Note 1:** The period of deputation, including the period of deputation in another ex-Cadre post	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/82/2013-PT/BPR&D]

SUNIL BAEJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 151.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में पशु-चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल, पशु-चिकित्सा अधिकारी भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—**पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमो के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं, आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—**वह व्यक्त -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.—** आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर इन नियमों की किसी बात, ऐसे प्रभाव नहीं डालेंगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण।	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पशु-चिकित्सा अधिकारी	01* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-11 (रु.67,700-2,08,700/-) **+** प्रैक्टिसबंदी भत्ता (मूल वेतन का 20 प्रतिशत, इस शर्त पर अधीन रहते हुए कि मूल वेतन और प्रैक्टिसबंदी भत्ता रुपये 2,37,500/- से अधिक न हो	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिय/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिनके अंतर्गतअल्पकालिक संविदा भी है) - केन्द्रीय या राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्रों या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी :- (क) (i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर–10 (रुपये 56,100 – 177,500/-) या समतुल्य में नियमत आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष सेवा की हों; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव होः- अनिवार्यः (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पशु-चिकित्सा	लागू नहीं होता	पदों को भरने लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

विज्ञान पशुपालन या पशु-चिकित्सा विज्ञान में बैचलर का डिग्री; (ii) भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र पशु-चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत ; और (iii) संबंधित क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव । वांछनीयः मान्यताप्राप्त संस्थान के अस्तबल प्रबंधन पाठ्यक्रम में भाग लिया हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत के केंद्रीय सरकार उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011/81/2013-पीटी/ बी.पी.आर.एंड डी]

सुनील बरेजा, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd December, 2021

G.S.R. 151.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Veterinary Officer in the Central Academy for Police Training, Bhopal under the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (1)These rules may be called the Bureau of Police Research and Development, Central Academy for Police Training, Bhopal, Veterinary Officer, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Veterinary Officer	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level-11(Rs. 67700-208700/-) plus Non-Practice Allowance (20 per-cent of the basic pay, subject to the condition that the sum of Basic Pay and Non-Practicing Allowance does not exceed Rs. 237500/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short terms contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous body or statutory body or Public Sector Undertaking or University or recognised research institute,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the level rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 (Rs.56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience:- **Essential:** (i) Bachelors degree in Veterinary Science Animal Husbandry or Veterinary Sciences from a recognised	Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for filling up the post.

university; (ii) registered with Indian Veterinary Council or State or Union Territory Veterinary Council; and (iii) five years experience in the relevant field. Desirable: Attended Stable Management course in a recognised institute. **Note 1:** The period of deputation, including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/81/2013-PT/BPR&D]
SUNIL BAREJA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

सा.का.नि. 152.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई में फोटोग्राफर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, फोटोग्राफर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

   (ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति-

   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फोटोग्राफर	1 *(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी और न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश का लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2**: रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएँ: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उतीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फोटोग्राफी में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम। (iii) अभ्यर्थी के चयन के लिए कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण 1:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100 रुपये) या समतुल्य में पदों पर पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति(पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. अपर निदेशक - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक (पुनर्वास) - सदस्य; 3. संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य ।	लागू नहीं होता

[फा.सं. ए.11018/37/2016-एमएच-II/एन सी डी- I]

धर्मेन्द्र सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 26th November, 2021

G.S.R. 152.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Bombay (Group 'C' post) Recruitment Rules, 1988,except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographer in the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, All India Institute of Physical Medicine and Rehabilitation, Mumbai, Photographer (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix .—**The number of the said post, its classification and level in pay the matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. .—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—**No person, -

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Photographer	1* (2021) *subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level - 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300)	Not applicable	Between 18 and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date

					prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradeshand the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. **Note 2:** The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from employment exchange shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualifications: (i)10th class pass from a recognsied Board. (ii) Diploma course in Photography from a recognized institute. (iii)Skill test will be held for selection of the candidate.	Not applicable	Two year	By direct recruitment. **Note 1**:Vacanciescaused by the incumbent being away on deputation or long illnessor study leave or under other circumstances for duration of one year or more maybe filled on deputation basis from officers of Central Government, - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in posts in the level 4 in pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitsunder column 7.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades, from which promotion/deputation or	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

absorption to be made		
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Additional Director -Chairman; 2. Deputy Director (Rehab) -Member; 3. Concerned Head of Department -Member.	Not applicable.

[F. No.A.11018/37/2016-MH.II/NCD-I]

DHARMINDER SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 153.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और "सफ़दरजंग अस्पताल (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1973" को, जहाँ तक उनका संबंध स्टीवर्ड के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में स्टीवर्ड के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, स्टीवर्ड (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.—**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-

   (iii) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (iv) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टीवर्ड	2* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच। अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से पद को भरने की स्थिति में 18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु-सीमा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण 1** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले का पांगी उपखंड और लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होटल प्रबंधन में डिप्लोमा। **वांछनीय अनुभव:** किसी प्रतिष्ठित होस्टल/कैंटीन/मेस में स्टीवर्ड के रूप में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण-1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या	लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2** : अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी या कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपये) या समतुल्य में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं रखते हों। **टिप्पण-1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:** 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; 3. उपनिदेशक (चिकित्सा अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	लागू नहीं होता।

अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं.ए.11018/20/2021-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2021

G.S.R. 153.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of "The Safdarjung Hospital (Class III posts) Recruitment Rules , 1973", in so far as relates to the post of Steward, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Steward in the Ministry of Health and Family Welfare , Safdarjang Hospital ,New Delhi, namely:

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjang Hospital, Steward (Group C post), Recruitment Rules , 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Steward	*2 (2021) *subject to variation dependent on Workload	General Central Service, Group 'C' Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs. 25500-81100)	Not applicable	Between 18 years and 25 years In case of post being filled up by all–India open competition, it would be between 18 years and 27 years of age. (The upper age

					limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates of India and not the closing date prescribed for those in Assam Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Ladakh Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : i. 12th Class Pass from a recognised Board. ii. Diploma in Hotel Management from a recognised University or Institute. **Desirable Experience:** One year experience as a Steward in a hostel/canteen/ mess of a repute. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be	Not applicable	Two years	By deputation failing which by direct recruitment.

recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation Officers of the Central Government or State government or Union territories: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level -3 (Rs. 21700 -69100) or equivalent in the parent cadre or department ; and (b) possessing the educational and other qualifications prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The Period of Deputation including in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1.Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital -Chairman; 2. Head of the concerned department, Safdarjang hospital -Member; 3. Deputy Director (Medical Hospital), Directorate General Health Services -Member.	Not applicable

appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.11018/20/2021-MH.II]

GANESH KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.12.10 13:01:09 +05'30'